राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: प. 16 (02) ल. प्र. / गृह-10 / 2023 जयपुर, दिनांक:-

आदेश

वित्त (आबकारी) विभाग की पत्रावली संख्या प. 4 (5) वित्त / आब / 2012 पार्ट के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रकरणों को सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर, न्यायालय से वापस लिये जाने की अनुशंषा की गई है।

अतः राज्य सरकार उक्त अनुशंषा पर विचारोपरान्त यह आदेशित करती है कि राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में दर्ज निम्न प्रकृति के प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाये,-

1. जिनमें दिनांक 30.12.2024 तक न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जा चुका हो, तथा
2. अभियुक्त द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में प्रथम बार अपराध कारित किया गया हो, तथा
3. बरामदगी अधिकतम 10 लीटर शराब की हो ।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
2. वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग |
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को उनके पत्रांकः F4 (187) / RSLSA / SS / NLA-Withdrawal / 2025/ 27313 दिनांक 17-02-2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में
5. संयुक्त शासन सचिव, वित (आबकारी) विभाग को उनके पत्रावली क्रमांक प. 4 (5) वित्त / आब / 2012 पार्ट के क्रम में
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर ।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर ।
8. आबकारी आयुक्त, उदयपुर ।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान |
10. समस्त पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, राजस्थान ।
11. समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्थान / मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर / जोधपुर।

RajKaj Ref No.: 14067232

12. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की परिधि में आने वाले प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी / सहायक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित करें एवं की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करायें।

13. रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव, गृह (विधि)

Document certified by RAVI SHARMA <sharma.ravirhjs@gmail.com>.

Digitally Signed by RAVI SHARMA
Designation : Secretary
Date :07-03-2025 05:22:56